न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

सीमलवाडा जिला डुगंरपुर

पीठासीन अधिकारीः— अनिल कुमार जैन

प्रकरण सख्याः—55/21 ई.दी निर्णय दिनांकः—13.07.2021

1 श्री सुरेन्द्रसिंह पिता सरदारसिंह राठौड जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी बांसिया तहसील सीमलवाडा जिला डूगरपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1 श्री मान तहसीलदार साहब एवं उपपंजीयक महोदय तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।

प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 88 रा.टी एक्ट व 136 भु—राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ताः— श्री कर्तव्य शाह वादी की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी एव अन्य सहखातेदार के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम बांसिया में खाता संख्या 169, खसरा नम्बर 1026, 1090, 1093, 1249, 1297, 1307, 1308, 1352, 1353, 1361, 1466, 1487, 1541, 1542, 1544, 1545, 2046, 534, खेत किता 18 कुल रकबा 3.4478 हैक्टेयर में 1/12 हिस्सा होकर स्थित है। वर्तमान में भी कब्जा मौके पर वादी व अन्य सहखातेदारों का अपने अपने हिस्से पर यथावत रूप से कब्जा बना हुआ है। वादी ने संयुक्त कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजीयात में अपने हिस्से पर केसीसी ऋण लेने हेतु वादी ने खाते की हाल जमाबंदी नकल निकलवायी तो पता चला की हाल जमाबन्दी में वादी के पिता सरदारसिंह के फोत हो जाने के पश्चात विरासती आराजी में सुर्यवीरसिंह पिता सरदारसिंह नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। जबकि सुर्यवीरसिंह नाम का सरदारसिंह के कोई विधिक वारिसान नहीं हुए है। वादी सुरेन्द्रसिंह सरदारसिंह का पुत्र होकर विधिक वारिसान होने के बावजुद भी वादी सुरेन्द्रसिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने पर वादी ने राजस्व कर्मचारी से मिलकर सरदारसिंह की मृत्यु के पश्चात खोले गए नामान्तरणकरण की प्रति परत निकलवाई तो पता चला की नामांतरणकरण के समय ही राजस्व कर्मचारीयों ने भूलवंश वादी का नाम अंकित नहीं कर सुर्यवीरसिंह का नाम दर्ज कर दिया है। जबकि सुर्यवीरसिंह नाम का कोई पुत्र नहीं हैं। ऐसे में वादी ने राजस्व कर्मचारी व प्रतिवादी से मिलकर राजस्व रेकोर्ड दुरस्त करने की बात कही लेकिन अब तक कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। राजस्व कर्मचारी से निवेदन कर रिकॉर्ड दूरस्त करने की बात की लेकिन रिकॉर्ड दूरस्त नहीं किया गया। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जो वाद म्याद अवधि मे पेश है। प्रतिवादी को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जाना आवश्यक हैकि प्रतिवादी वादी को वादग्रस्त आराजी ग्राम बांसिया में खाता संख्या 169, खसरा नम्बर

क्रमशः पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी

1026, 1090, 1093, 1249, 1297, 1307, 1308, 1352, 1353, 1361, 1466, 1487, 1541, 1542, 1544, 1545, 2046, 534, खेत किता 18 कुल रकबा 3. 4478 हैक्टेयर में 1/12 हिस्सा से बेदखल न करे।
इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज की जांच करने पर सुर्यवीरसिंह पिता सरदारसिंह व सुरेन्द्रसिंह पिता सरदारसिंह दोनों एक ही व्यक्ति होने से राजस्व रिकॉर्ड में सुर्यवीरसिंह को सुरेन्द्रसिंह करना उचित है।

विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया जरीये इन्द्राज दुरस्ती ग्राम बांसिया में खाता संख्या 169, खसरा नम्बर 1026, 1090, 1093, 1249, 1297, 1307, 1308, 1352, 1353, 1361, 1466, 1487, 1541, 1542, 1544, 1545, 2046, 534, खेत किता 18 कुल रकबा 3.4478 हैक्टेयर में 1/12 हिस्सा में सुर्यवीरसिंह का नाम हटाकर कर वादी सुरेन्द्रसिंह पिता सरदारसिंह नाम दर्ज कर वादी सुरेन्द्रसिंह पिता सरदारसिंह को वादग्रस्त आराजी के हिस्से में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में दस्तावेजों का अवलोकन किया साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी पर वादी खातेदार काश्तकार है। ग्राम बांसिया में खाता संख्या 169, खसरा नम्बर 1026, 1090, 1093, 1249, 1297, 1307, 1308, 1352, 1353, 1361, 1466, 1487, 1541, 1542, 1544, 1545, 2046, 534, खेत किता 18 कुल रकबा 3.4478 हैक्टेयर में 1/12 हिस्सा स्थित है। वर्तमान में भी कब्जा मौके पर वादी सुरेन्द्रसिंह अन्य सहखातेदारों का अपने अपने हिस्से पर यथावत रूप से बना हुआ है। वादी के पिता सरदारसिंह के फोत हो जाने के पश्चात विरासती आराजी में सुर्यवीरसिंह नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज कर दिया गया है। ऐसे में सुर्यवीरसिंह पिता सरदारसिंह की जगह सुरेन्द्रसिंह पिता सरदारसिंह नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कर खातेदार काश्तकातर घोषित किया जाता है।

आदेश

प्रकरण में वादी का वाद स्वीकार किया जाता है ग्राम बांसिया में खाता संख्या 169, खसरा नम्बर 1026, 1090, 1093, 1249, 1297, 1307, 1308, 1352, 1353, 1361, 1466, 1487, 1541, 1542, 1544, 1545, 2046, 534, खेत किता 18 कुल रकबा 3.4478 हैक्टेयर में 1/12 हिस्सा में सुर्यवीरसिंह पिता सरदारसिंह की जगह सुरेन्द्रसिंह पिता सरदारसिंह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर खातेदार काश्तकातर घोषित किया जाता है।

अनिल कुमार जैन
उपखंड अधिकारी भीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 13.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार जैन 13
उपखंड अधिकारी भीमलवाडा

डिकी व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजर कोड, एपेन्डियस डी–1)

ज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा मुकाम धम्बोला

तास श्री उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन सीमलवाडा

सुरेन्द्रसिंह

बनाम श्री मान तहसीलदार

द बाबतः– धारा 88 रा.टी. एक्ट व 136 भु राजस्व अधिनियम

कदमा नम्बरः– 55 / 2021 ई.दी

ह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :– श्री अनिल कुमार जैन

हाजरी :– श्री कर्तव्य शाह मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलाह उपस्थिति होकर हुक्म दिया ाता है डिकी दी जाती है किः–

ग्राम बांसिया में खाता संख्या 169, खसरा नम्बर 1026, 1090, 1093, 1249, 1297, 1307, 1308, 1352, 1353, 1361, 1466, 1487, 1541, 1542, 1544, 1545, 2046, 534, खेत किता 18 कुल रकबा 3.4478 हैक्टेयर में 1/12 हिस्सा में सुर्यवीरसिंह पिता सरदारसिंह की जगह सुरेन्द्रसिंह पिता सरदारसिंह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर खातेदार काश्तकातर घोषित किया जाता है।

रे दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 13.07.2021 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी 13.7

ओहदा . . सीमलवाड़ा . . . .

मुदई	रूपया / पेसा	मुदायलाह	रूपया / पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजेह सबुत मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी 13.7
सीमलवाड़ा